प्रेस नोट ***19/05/2025***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष साधारण कारावास व ₹4500-4500 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय CJJD/FTC/CAW कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 17-05-2025 को मु0अ0सं0 243/2001 धारा 498A/323/504506 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामदरश यादव पुत्र जयराम, रामकरन पुत्र जयराम, रामजन्म पुत्र जयराम, निर्मला पत्नी रामकरन निवासीगण कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02-02 वर्ष साधारण कारावास की सजा एवं ₹4500-4500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री अभिनव शुक्ल, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी थाना कोपागंज का सराहनीय योगदान रहा।

गुमशुदा/खोए कुल एक मोबाइल फोन लगभग 40,000 (चालीस हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना दोहरीघाट में गुमशुदा एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी लगभग 40,000 (चालीस हजार) रुपये कीमती को बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। जिसमें मनोज कुमार साकिन पुरमोती थाना दोहरीघाट जनपद मऊ। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट मय साईबर टीम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।